5 रु. भारत पाँच रुपये COURT — 5 रु. भारत पाँच रुपये COURT — 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

(38)

न्यायालय राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

निगरानी 1682-II-15

प्र० क्र० / 15

श्री राम सेवक शर्मा एड० द्वारा आज दि. 25-6-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 25-6-15

रामसहाय छिरोलिया एडवोकेट पुत्र श्री कल्लू उर्फ राजेन्द्र छिरोलिया , उम्र 50 साल , धंधा वकालत , निवासी पस्तोर वाली गली टाउन हॉल के पास दतिया जिला दतियां म०प्र०

--- आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० शासन जरिये नजूल तहसीलदार जिला दतिया म०प्र० --- अनावेदक

25-6-15

निगरानी अंतर्गत धारा 50 ( क ) म०प्र०भू०रा०सं० 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 12.6.15 द्वारा पारित नजूल तहसीलदार दतिया प्रकरण क्रमांक 14 अ 68 म०प्र० शासन विरू रामसहाय छिरोलिया के निर्णय से दुखी होकर

श्रीमान जी,

प्रतिलिपि D.K. Shukla 6/7/15

आवेदक की निगरानी तथ्यों एवं आधारों पर निम्नप्रकार प्रस्तुत है

1. यह कि, आवेदकगण का निवास पस्तोर वाली गली टाउन हॉल के पास दतिया भूमि स्वामी के निजी निवास में स्थित है जिसमें मकान का अगला हिस्सा व जीर्णशीर्ण होने के कारण उसे दुरुस्त कराये जाने हेतु आवेदक द्वारा कार्य किया गया किन्तु नजूल तहसीलदार दतिया द्वारा आवेदक के उक्त कार्य को बगैर एम पी एल आर सी की धारा 248 क , नोटिस जारी किये स्थगन आदेश दि० 12.6.15 को बिना सुनवाई के कर दिया जिसके विरूद्ध निगरानी आवेदक द्वारा श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है ।

दिनांक 25.6.15

हस्ता०सत्यापनकर्ता

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-1682-दो/15 **जिला** - दतिया

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 02/04/2019 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नजूल तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नजूल तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला दतिया के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>सदस्य<br><br>**कलेक्टर जिला दतिया** | |